

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर**

राजस्व वाद 54 / 2021(2021 / 221)

1. मणेशीलाल पुत्र रामपाल जाति गुर्जर सावर जिला अजमेर।
  2. गोकली देवी पत्नि रामपाल
  3. शीला पुत्री रामपाल
  4. सांवरिया पुत्री रामपाल
- तमाम जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सदारी तहसील सावर जिला अजमेर

—-प्रार्थीगण

◆ बनाम ◆

राजस्थान सरकार तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

—- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 7.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प सदारी तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/अप्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम सदारी** की जमाबन्दी संवत **2071-74** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
61-322	1078	0.81	वारानी2

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य, स्वामित्व, उपयोग, उपभोग में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। दिनांक 25.5.2021 को भी प्रार्थी उक्त आराजी पर गया तो झगडा करने लगे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी अप्रार्थी द्वारा करवायी जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी परोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। परोकार सरकार द्वारा को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। परोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम **ग्राम सदारी** की जमाबन्दी संवत **2071-74** के खाता संख्या नया पुराना 61-322 कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है। की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 7.12.2021 को केम्प सदारी मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
केकडी